न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2017 (उदयपुर आर्डर)

नन्दलाल पिता भैरूलाल जी तेली (साहू), निवासी सुथारवाड़ा, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भैरूजी स्थानदेह (भुवाणा) जरिये तथाकथित संरक्षक नारायणलाल पिता लालूराम डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. पुष्पेन्द्र पिता स्वर्गीय राजमल जी जैन, निवासी मकान नंबर 1–क–28, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 13, उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम – 1955 विरूद्ध
निर्णय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
गिर्वा दिनांक 05.07.2017 प्र.सं.172/15

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री पुष्कर लोहार अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे.सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय दिनांक 12–09–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भुवाणा में आराजी नंबर 2182 रकबा 0.0700 हैक्टर स्थित है तथा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज होकर कब्जा चला आ रहा है। वादी भैरूजी स्थानदेह शाश्वत नाबालिग है, जिसका पुजारी विपक्षी संख्या 1 है, जिसकी नियत में फितूर आने से विपक्षी संख्या 2 से सांठ–गांठ कर भूमि की किस्म परिवर्तित करने तथा हस्तान्तरण करने के उद्देश्य से बिना रूपान्तरित कराये निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसका उसे [illegible] अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:46 IST
Reason: SelfAttested

पाबन्द किया जावे कि वह विवादित भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करें, खुर्द–बुर्द नहीं करें, न ही हस्तान्तरित करें एवं न ही अकृषि में परिवर्तित करें तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 10–08–2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की तत्पश्चात् दिनांक 05–07–2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 वाबजूद सूचना अनुपस्थित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। लोक अदालत में न तो अपीलान्ट उपस्थित था न ही उसके द्वारा कोई सहमति दी गयी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कोटा पूरा करने की गरज से प्रकरण का निस्तारण कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भैरूजी स्थानदेह की सेवा पूजा प्रारम्भ से ही अपीलान्ट व उसके पिता करते चले आ रहे हैं तथा राजस्व अभिलेखों में बहैसियत पुजारी अपीलान्ट व उसके पिता का नाम दर्ज है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जिस नारायणलाल डांगी को संरक्षक बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया है, उसका उक्त मंदिर या उसकी जमीन से कोई सरोकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा मंदिर की भूमि को न तो किसी को सुपुर्द किया गया एवं न ही किसी प्रकार का निर्माण कराया गया न ही अपीलान्ट की ऐसी कोई मंशा है, फिर भी वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने गलत रूप से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को पक्षकार बनाकर प्रकरण प्रस्तुत कर दिया। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से ही प्रकरण रखा जाता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया एवं अपनी कोटा पूरा करने की नियत से बिना अपीलान्ट की सहमति के प्रकरण राजस्व में रखकर निर्णय पारित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:46 IST
Reason: SelfAttested

दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 2182 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट/वादी भैरूजी स्थानदेह के खातेदारी में अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–07–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:46 IST
Reason: SelfAttested